

गौपूजा

रतनलाल बसंल

आजकल का सब से बड़ा देश द्रोह है

मानव समाज जब तक पाषाण और

धातुओं के हथियार बना कर उन का प्रयोग नहीं जान पाया था, तब तक उस ने स्वभावतः अपने को पीड़ा देने में समर्थ पशुओं तथा अन्य मानवेतर प्राणियों में किसी दैवी शक्ति का आरोपण कर के उन को पूजा द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा की. संसार के सभी भभागों में इस प्रकार की पूजा रही है और आज भी अनेक जंगली व पिछड़ी हुई जातियों में यह प्रचलित है.

हमारे देश में सर्पों और बंदरों इत्यादि की पूजा तथा कछु, भच्छ, वाराह और नृसिंह आदि के रूप में भगवान के अवतरित होने की कल्पना उसी युग की देन है, जिसे हम अभी तक ढोए जा रहे हैं.

इस के पश्चात मानव जब कुछ विकसित हुआ और उस में भावुकता का उद्भव होना प्रारंभ हुआ, तो उस ने ऐसे पशुओं तथा अन्य प्राकृतिक उपादानों की पूजा आरंभ कर दी, जिन से वह उपकृत होता था. सेघ, अग्नि, जल, नदियां, समुद्र, वृक्ष आदि की पूजा प्रचलित होने का आधार यही है.

गायबैलों की पूजा भी इसी प्रकार प्रारंभ हुई और न केवल भारतवर्ष में ही, वल्कि मसोपोटामिया की असुर सभ्यता युग की छुदाइयों से ले कर यहूदी, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि धर्म ग्रंथों में इस का विवरण मिलता है. ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य सभी पशुओं की अपेक्षा गाय

को पालतू बनाने और उस से लाभ उठाने में मानव को सब से शीघ्र सफलता मिल गई. प्रारंभ में तो गाय को केवल खाने के लिए ही पालतू बनाया गया, व्योंगि तब तक मानव ने स्थायी रूप से कहीं बस कर खेती करना नहीं सीखा था. उस समय गाय इसी प्रकार पाली जाती थी जिस प्रकार आज बकरे और मेंढ़े पाले जाते हैं. उस की उपयोगिता केवल यही थी कि इस निरुपद्रवी पशु को चाहे जितने दिन तक जीवित रख कर आवश्यकतानुसार उस का मांस खाया जा सकता है.

कित गाय के असूततुल्य दधि और बछड़ों की कृषिकार्य में उपयोगिता के कारण गौमांस का भक्षण कम होता गया. वेदों में अनेक स्थानों पर लिखा मिलता है : "यजमान के पशुओं की रक्षा करो, भेड़ मत मारो, गाय मत मारो, एक खुर वाले पशु को मत मारो." इस से स्पष्ट है कि गौ इत्यादि के दधि का निषेध केवल इस लिए किया गया था कि इस से पूर्व गौवध प्रचलित था.

इस से भी अधिक पुष्ट प्रमाण ऋग्वेद का यह मंत्र उपस्थित करता है :
कर्हिस्वत सा त इन्द्र चेत्यांसदधस्य
यदिभनदो रक्ष एषत् की
मित्रकुवो यच्छशने न गावः प्रथित्या
आप्रगमयां शयते.

"है इन्द्र, जिस अस्त्र व बाण को फेंक कर तुम ने पापी राक्षस को काटा था, वह कहां फेंकने योग्य है? जैसे गौहत्या के

स्थान पर गाएं काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से निहित हो कर मित्रदेवी राक्षस लोग पृथ्वी पर गिर कर सदा के लिए सो जाते हैं।

स्पष्ट है कि इस संघ का रचना काल गौवध निवेद्य करने वाले मंत्रों से प्राचीन है। वास्तव में भारतवासियों में भी जब गाय मुदा के रूप में प्रचलित होने लगी, तो कहीं गाय के बद पर थोड़ा प्रतिबंध लगा। इस प्रतिबंध का कारण धार्मिक नहीं, विशद् आर्थिक था। किंतु धार्मिक पुरोहितों की जिहवा वे गौमांस का स्वाद लग चुका था। अतः उन्होंने गौवध यज्ञ की प्रथा चलाई और अतिथि सत्कार के लिए भी मध्यपक्ष निर्माण करने हेतु गौहत्या को आवश्यक करने घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप आर्थिक दबाव के कारण गौवध अधार्मिक ठहरा दिए जाने पर भी दूसरी ओर गौवध धार्मिक भी बना रहा।

भयंकर पाप

हमारे धर्मशास्त्रों में एक और गौवध को भयंकर पाप बताया जाना, और फिर भी भी शतपथ ब्राह्मण इत्यादि धर्मग्रंथों में गौवध का वर्णन, महाभारत में राजा रतिदेव द्वारा अतिथियों हेतु सहजोंगा गायों का नित्यप्रति वध करने की कथा और महाकवि भवभूति के प्रसिद्ध नाटक रामचरित के चतुर्थ अंक में महर्षि वाल्मीकि द्वारा गुरु वसिष्ठ को गौवत्सरी का मांस भेंट करने के वर्णन में परस्पर जो विरोधाभास दिखाई देता है, उस का यही कारण है।

सत्त्वनिकाय इत्यादि बौद्ध ग्रंथों में भगवान बृद्ध द्वारा तत्कालीन ब्राह्मण समाज में गौमांस भक्षण प्रथा के प्रचलित होने की निवाकिया जाना यह सूचना देता है कि आज से केवल 2,500 वर्ष पूर्व भी ब्राह्मणों में गौमांस भक्षण प्रचलित था। वास्तव में बौद्ध धर्म के कारण अंहसा का आंदोलन जब इस देश में चला, तभी गौहत्या के प्रति वर्तमान धारणाएं बर्दी, जो

आज देश के लिए और स्वर्यं गौवंश के लिए भयानक संकट का कारण बन गई हैं।

हमारे देश में गाय के प्रति ऐसी भयानक भवित भावाना ने घर कर लिया है कि उसे आधार बना कर राष्ट्रविरोधी शवित्राय बड़े से बड़ा लाभ उठा लेती हैं। विदेशी आक्रंताओं द्वारा अपनी फौज के आगे गौ समझ ले कर चलते और फिर गायों के मारे जाने के भय से भारतीय राजाओं द्वारा उन का मुकाबला न करने और अपनी स्वतंत्रता को उन के हाथों में निरी ही भाव से सौंप देने विषयक अनेकानेक लोककथाओं को यदि हुओड़ी भी दें, तो स्वतंत्र भारत के हाल में ही प्रथम भूमि में अनेक प्रतिक्रियावादी तथा रुद्धिवादी दर्ताएँ द्वारा गौवध रोकने के नाम पर वोटों की अपील करना और कर्हिकर्हि उन को बलवान समर्थन मिल जाना यह प्रकट करता है कि इस भावकृतों को उभार कर कुछ किया जा सकता है।

दस आने में गौदान

आज देश के लिए और स्वर्यं गौवंश के लिए भयानक संकट का कार्यक्रम होता था, बल्कि उन का प्रयोग श्वभ माना जाता था, जो उस युग के रुद्धिवाद का प्रतीक है।

किंतु आज हमारी गौभवित प्राकृतिक मत्थु से मरी हुई गायों के भी चमड़े, रक्त और हड्डियों का उपयोग करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। जबकि उन के मृत शरीर के उपादानों का प्रयोग कर के हम उन करोड़ों रुपयों के बचाव सकते हैं, जो हमें गौचर्म और हड्डियों से बचने हुए माल को खरीदने के लिए विदेश भेजने पड़ते हैं, गांधीजी ने इस संबंध में कछु कार्य प्रारंभ भी किया था, जो आज भी चल रहा है, किंतु गौपता की भावना के कारण वह व्याप्त नहीं हो सकता।

यह भी विचार योग्य है कि सदियों से चली आ रही गाय के प्रति हमारी इस मृदू श्रद्धा से गाय को क्या लाभ हुआ है? गाय का प्रश्न मानव समाज के स्वास्थ्य से अति निकट का संबंध रखता है, अतः इस संबंध में प्रायः गणनाएँ हुई हैं और उन की रिपोर्टों से हम इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं।

इस संबंध में विचार करते समय यह और भी उचित होगा कि हम गौभवत जन गौभक्षक देशों की गायों के आंकड़े भी अपने समने रख लें और फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें।

सन 1940 की पशुगणना रिपोर्ट दत्तात्री है कि सन 1935-40 के मध्य दवितीयी अफ्रीका में 14 प्रतिशत, पोलैंड में 8 प्रतिशत, इलैंड में 14 प्रतिशत और जर्मनी में 5 प्रतिशत वृद्धि गायों की संख्या में हुई, किंतु हम गौरक्षकों के देश में इस काल में गायों की संख्या 13 प्रतिशत कम हो गई।

किंतु गाय के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों तो इस से भी भयानक हैं। इन के अनुसार डेनमार्क में प्रति गाय से वार्षिक रुप से औसतन 87 मन 22 सेर, स्विटजरलैंड में 81 मन नी सेर, बेलजियम में 76 मन 4 सेर, इंगलैंड में 61 मन 18 सेर, जर्मनी में 66 मन 12 सेर दध का उपादान होता है। किंतु भारतवर्ष में यह औसत केवल 6 मन 22 सेर ही है अर्थात हमारे गौपूजक देश की गायों से गौभक्षक देशों की गाएं दस गुने से

चौदह गुने तक अधिक दूध देती हैं।

गौभक्षक देशों में दूध की खपत अधिक

इस का परिणाम यह है कि विदेशों में आज दूध की नहरें बह रही हैं। वहाँ दूध का उत्पादन इतना अधिक है कि वे केवल उसे पीने के ही काम में नहीं लाते, बल्कि उस का दूसरा सामान भी बनाने लगे हैं। इस दूरी में 'इंडियन फार्मिंग', जुलाई 1942 के अंक में छपा है : "फाउंडेशनें" के खोल और एवरशार्प पैसिलें दूध से बनती हैं। लिखने के बढ़िया कागजों पर चमक दूध की पालिश से ही आती है। हवाई जहाज का प्लाइवुड दूध की सहायता से ही बनता है।"

गौभक्षक देशों में जब कि प्रत्येक मनुष्य के पीछे, हमारे यहाँ की अपेक्षा ढेढ़ से ले कर नौ गुना तक अधिक दूध की खपत होती है इसी का परिणाम है कि एक वर्ष से कम अवधारणा के बालक यदि इंगलैंड में 1,000 में से 192, डेनमार्क में 136 और न्यूजीलैंड में केवल 2 भरते हैं, तो भारत में उन की संख्या 261 प्रति हजार है। और यदि इंगलैंड में औसत उम्र 53, न्यूजीलैंड में 58, डेनमार्क में 56, अमरीका में 59 वर्ष है तो भारत में केवल 23 वर्ष है। इस संबंध में किसी समय के संयुक्त प्रांत के आरोग्य विभाग के अधिकारी कर्नल मेकेटोरेट ने कहा था, "सुशिक्षित बालों की फौज खड़ी करने की अपेक्षा गरीबों को दूध सुलभ हो, इस प्रकार दूध सस्ता कर देना ही बाल मृत्युओं की सूखा घटाने का सब से अच्छा तरीका है।"

भारत में ऐसे सुझाव प्रति वर्ष दिए जाते हैं, किंतु इन पर अमल नहीं हो पाता। इस के विपरीत विदेशों में युद्ध काल में भी दूध सस्ता रखने की विशेष व्यवस्था की गई थी, इंगलैंड में तो सीमित आय वाले एक विशेष वर्ग को केवल एकड़े आने सेर दूध मिलता था।

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि गाय के प्रश्न से सारे राष्ट्र के स्वास्थ्य और प्रकारांतर से उस की सर्वांगीन उन्नति का

प्रश्न जुड़ा हुआ है, अतः हमें अत्यंत धैर्यपूर्वक इस समस्या पर विचार करना है।

यह स्पष्ट है कि जबतक भारतीय गाय इतना अधिक दूध देने में समर्थ नहीं हो जाती कि उस का पालनपोषण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, तब तक केवल कानून बना देने से उस की रक्षा नहीं हो सकेगी। प्रमाण रूप, भारत स्वाधीन हो जाने के पश्चात सैकड़ों स्पैनिश पिल्डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने अपने निवाचन क्षेत्रों की जनता से वाहवाही लट्टे के लिए गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया है, अनेक रियासतों में तो पांचपांच सौ वर्षों से गौवध नहीं हुआ। किंतु वहाँ भी गौवध की उन्नति नहीं हो सकी, अवनति ही होती गई और अब भी हो रही है। इस के विपरीत जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अनेक ऐसे देशों में जहाँ गौमांस भक्षण पर्याप्त मात्रा में होता है, गौवध की उन्नति आशानीत रूप से हुई है।

आर्थिक दृष्टि से गाय का पालन तभी लाभदायक होगा जब कि उस की नसल सुधरे, और नसल सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक दो बातें हैं :

1. रोगी और दुर्बल सांडों तथा गायों का विनाश।

2. भविष्य में भी केवल उन बछड़ों को ही सांड बनने देना, जो इस योग्य समझे जाएं।

हमारे गौप्रजक समाज को ये दोनों ही उपाय सीखिया की भाँति जान पड़ेंगे, लेकिन उन को समझ लेना चाहिए कि यदि वे दूध देने वाली युद्ध गायों को बचाना चाहते हैं, गौवध की वृद्धि चाहते हैं। अब के लिए भारत को स्वावलंबी देखना चाहते हैं और हजारों लाखों भारतीय मानव संतानों को अकाल मृत्यु से बचाना चाहते हैं, तो उन को इन सुझावों को अपनाना ही होगा। इस के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय उपायों का विवरण आरोग्य अधिकारी डाक्टर राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पृष्ठक "फड़ प्लार्मिंग फार फोर हंडरेड मिलियंस" (40 करोड़ की आहार

योजना) में लिखा है :

"अच्छे ढारों के लिए कठिनाई से जितना चारा परा होता है, उतने में निकम्मे पशुओं को अधिष्ठ खिला कर पाना जाता है, व्योंगी सी गायों का सोह छोड़ कर शेष गाय, बैलों और असंख्य मानव संतानों की रक्षा कर लेना अधिक श्रेष्ठस्कर समझेंगे। उन को जरा बंदू, कलकत्ता और मद्रास इत्यादि बड़े शहरों में जा कर देखना चाहिए कि वहाँ गायों पर क्या वीती है। निम्नलिखित उदाहरणों से मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी।"

सुलझाया नहीं जा सकता है।

अब गौप्रजक भाइयों को सोचना है कि वे संपूर्ण गौवध को इसी प्रकार तिलितल कर के भारता चाहते हैं, अथवा थोड़ी सी गायों का सोह छोड़ कर शेष गाय, बैलों और असंख्य मानव संतानों की रक्षा कर लेना अधिक श्रेष्ठस्कर समझेंगे। उन को जरा बंदू, कलकत्ता और मद्रास इत्यादि बड़े शहरों में जा कर देखना चाहिए कि वहाँ गायों पर क्या वीती है। निम्नलिखित उदाहरणों से मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी।"

घोर हृदयहीनता

कलकत्ता के जीव दया मंडल के सभासद मैत्र बाब ने अपने एक लेख में लिखा था : "कलकत्ते के खाले गाय को दृहते समय गाय की योनि में फूंक मारते हैं या खारा पानी डालते रहते हैं, अथवा उस में उस की पूँछ, आदमी का हाथ या चार सूत व्यास वाला अठारह सूत लंबा घास का पौला रखते हैं। इस से पश्च इस तरह कराहते हैं कि पास छड़े आदमी को उन पर दया आए बिना नहीं रहेगी। पश की पीठ झुक जाती है और आंखें फट जाती हैं, वह कांपता रहता है और किसी आदमी को अपनी पूँछ की तरफ आते देखते ही बिकाने लगता है।"

"कलकत्ता नगर तथा उस के आसपास लगभग दस हजार गाएँ हैं जिन में से लगभग पाँच हजार को नित्यप्रति यह बेदना भोगनी पड़ती है।"

डाक्टर मोरोबो ने कलकत्ता कारपो-रेशन के सम्मुख गौक्षा विषयक जो निवारण पढ़ा था, उस का एक अंश यह है : 'पूरी नामक पौला रंग बनाने के लिए चाले गाय को केवल आम के पत्ते खिला कर रखते हैं और इस के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु न खाने को देते हैं, न पीने को पानी देते हैं उस का पेशाब बाजार में अच्छे दामों में बेच लेते हैं, लेकिन बेचारी गाय भूख से तड़पतड़प कर मर जाती है।'

निश्चय ही गायों के साथ ऐसी धोर

हृदयहीनता केवल इसलिए होती है कि उन में इतना अधिक दृढ़ देने की शक्ति नहीं रही, जिस से कि वे दृढ़ के व्यापार के लिए लाभवायक हो सकें। परिणामस्वरूप उन से कुछ ही दिनों में अधिक से अधिक दृढ़ प्राप्त करने के लिए दुष्ट प्रयास किए जाते हैं। बड़े नगरों में यह आम रिवाज सा है कि वहाँ के खाले बछड़ों को इस भ्रम से नहीं पालते कि वे गाय के दृढ़ में हिस्सा बन दिए थे। अतः वे उन को सड़कों पर भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ वे ट्रामों या मोटरों की लपेट में आ कर अथवा भूख से ही दम तोड़ देते हैं, इस प्रकार ये हुए लगभग वीस हजार बछड़ों के शब अकली बंवई कारपोरेशन की कूड़ा गाड़ियों द्वारा प्रति वर्ष ढोए जाते हैं।

इसी प्रकार सांडों के संबंध में वीसवाँवर (गुजरात) के एक सज्जन ने गांधीजी को लिखा था :

"बहुत समय से कंआरी मूल्य के पश्चात 'तील' विवाह करने की प्रथा इधर प्रचलित है, जिस के अनुसार एक बछड़े और बछिया की शारीरी कर दी जाती है और बछड़े को लोहे की छाँड़ों से दाग दिया जाता है और पिर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।

"इस काम में कमज़ोर बछड़े लिए जाते हैं, वे बड़े हो कर आवारा पिरते रहते हैं और खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फलस्वरूप मार खाते हैं। कभी इहें काटे सुलगा कर जला दिया जाता है और कभी इन की आंखों में मिर्ची भर कर इन को मृतप्रायः कर दिया जाता है।

"ये आवारा सांड कमज़ोर औलाद पैदा करते हैं। इस कारण गौधन घटता जाता है, किसान ऐसे बछड़े पालना नहीं चाहते, क्योंकि इन को तो बैल चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर के पले बछड़े को खस्सी करने में पाप लगता है, अतः किसान गौपालन नहीं करते।"

वास्तव में यह अकेले किसी एक प्रेदेश की कथा नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में थोड़े हरफेर से गौपूजा के नाम पर यही

होता रहा है। और इस के कारण गाय तथा उस के साथ संपूर्ण राष्ट्र रसातल की ओर गिरता जा रहा है। निकम्भे और अपंग गाय, बैल या सांडों के दृढ़ का प्रस्ताव सुनते ही जिन की आंखों से अगारे बरसने लगते हैं। उन को यह स्थिति भी देखनी चाहिए और तब सोचना चाहिए कि वहाँ गौवध इस से भी बड़ा पाप है। आज सब से बड़ी आवश्यकता ऐसा कानून बनाने के लिए आवश्यन करने की है जिस के अनुसार :

1. स्वस्थ दुधारू जानवरों का दृढ़, चाहे वह गाय हो या भैंस अथवा कोई अन्य दुधोपयोगी जीव, कठोर रूप से दंडनीय ठहरा दिया जाए।

2. अस्वस्थ, बेकार, अपंग, निठले, बुद्ध और किसी अन्य दुष्ट से अनुपयोगी जानवरों का पालनपोषण भी कठोर दंडनीय घोषित कर दिया जाए।

3. बाजार में फिरने वाली गायों और आवारा सांडों को सरकारी पिजरायोलों में ले जाया जाए और उन में से वही जीवित रखे जाएं जो पर्याप्त स्वस्थ हों। इन स्वस्थ जानवरों को भी केवल सरकारी पशु-शालाओं में ही रखना चाहिए-उन को आवारा नहीं फिरने देना चाहिए।

4. सांड, केवल सरकारी पशुशालाओं में ही बैयार किए जाएं। व्यक्तिगत रूप से सांड छोड़ना गैरकानूनी ठहरा दिया जाए।

5. धर्म के नाम पर चलने वाली संपूर्ण गौशालाओं को सरकारी प्रबंध में ले लिया जाए।

6. सरकारी पशुशालाओं में गौपालन की भी शिक्षा दी जाए तथा दृढ़ के व्यापार की वैज्ञानिक रीति बताइ जाए।

7. सृत गायबैलों के शारीरों को मिट्टी में दबाना या जलप्रवाह कराना गैरकानूनी ठहरा दिया जाए। सरकारी पशुशालाओं में उन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।

8. नवजात बछड़ों को लेने और पालन करने की व्यवस्था सरकारी तौर पर की जाए। ऐसा प्रबंध हो कि वहाँ किसान अपने बछड़ों को वैज्ञानिक रीति से खस्सी करा

सकें या बछड़े और आवश्यक रकम दे कर बैल प्राप्त कर सकें, बढ़ व अशक्त बैलों के विनियम का प्रबंध भी ये पशुशालाएं करें।

निश्चय ही उपरोक्त मसौदे में बहुत से संशोधन अपेक्षित होंगे, किंतु आशय यही है कि इस संबंध में हमें अपनी भावुकता और धार्मिक रुद्धियों को एक किनारे रख

कर केवल मानव, राष्ट्र और गौहित के आधार पर ही विचार करना चाहिए, और यह समझ लेना चाहिए कि जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तब तक गाय को नहीं बचा सकेंगे, और यदि गाय नहीं बचती तो हमारा राष्ट्र भी नहीं बच सकेगा।

●●

गौपूजा

रत्नलाल बंसल

आलोचनाओं व आपत्तियों के उत्तर

सरिता में प्रकाशित मेरे लेख 'आज का सब से बड़ा देशान्तरोह-गौपूजा' पर हिंदूउदू के कछु पत्रों ने और कुछ संस्थाओं के अधिकारियों ने अत्यंत तीव्र रोष प्रकट करते हुए, लेख के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर देयों की ओर चला था।

मुझे सब से अधिक आश्चर्य तो इस बात पर है कि इन आलोचकों और हिंदू धर्म व संस्कृति के स्वनिवार्तित रक्षकों ने मेरे लेख के उस भाग को क्यों जानबूझ कर दृष्टि से ओझल कर दिया है, जिसमें मैं ने कहा है कि केवल पूजा न कर के दूध देने वाली व उपयोगी गायों की तूरी तरह रक्षा करना हमारी सब से बड़ी आवश्यकता है, और यदि हम इन गायों को नहीं बचा सकेंगे, तो हमारा राष्ट्र भी नहीं बचेगा? मैं ने जो कुछ लिखा था, या सुनाक दिए थे, वे केवल गाय व अन्य दूध देने वाले सभी पशुओं की सही तरीके से रक्षा करने के लिए ही दिए थे। लगता है, इस असली बात को मेरे आलोचकों और धर्माधिकारियों ने इसलिए पीछे फेंक दिया है कि वे प्राचीन हिंदुओं के गौमांस खाने न खाने के प्रश्न को ले कर, 'गौ हृत्या' का नारा लगा कर और हिंदुओं की भावना को उभार कर अपने राजनीतिक व अन्य स्वार्थों के लिए एक आंदोलन खड़ा कर सकें।

लेख के विरुद्ध पहली व सब से बड़ी आपत्ति यह है कि उस में वेदकालीन आर्यों को गौमांस भक्षी सिद्ध किया गया है। इस के प्रमाण में, मैं ने जो वेदमंत्र दिया है, आलोचकों ने कहा है कि उस मंत्र का अर्थ मेरे दिए गए अर्थ से भिन्न है। कुछ

आलोचकों ने यह भी कहा है कि वह केवल रूपक मात्र है और उस के आधार पर यह नहीं मानना चाहिए कि प्राचीन काल में सचमुच गौवध होता था।

सभी आलोचक सज्जनों ने प्रकारांतर से यह भी लिखा है कि गौमेध नामक यज्ञ में जो गौ नामक पशु की बलि दी जाती थी—वह केवल विदेशियों द्वारा फैलाया गया थम है। एक सज्जन ने तो इसी आधार पर तकरे थे, लोकमान्य ने कहा था : "अंहसा परमो धर्मः - इस उदार सिद्धांत ने द्वाह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्व काल में यज्ञ के प्रमाण 'सेघदूतं' आदि अनेक ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु इस धोर हिंसा का द्वाह्मण धर्म से विदाई ले जाने का श्रेय जैन धर्म के हिस्से में है।" (मंडई समाचार के 10 दिसंबर 1904 के अंक से उद्धृत, यह संपूर्ण भाषण पुस्तिका रूप में भी प्राप्त है।)

वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर भगवानदास ने अपने लेख 'शास्त्रवाद बनाम बृद्धिवाद' में लिखा है :

"यदि शास्त्र शब्द ही पकड़ा जाएगा, तो फिर अन्न और धी की ही यज्ञ से संतोष क्यों? अजमेध, महिषमेध, गौमेध, अश्वमेध नरमेध भी यज्ञ नहीं? सभी तो शास्त्रविहित, वेदविहित हैं। और आज भी सनातन धर्म के, वेदशास्त्र के श्रद्धालु हिंदू लोग काशी जैसे तीर्थ स्थान में, दुर्गा मंदिर में अजमेध और पास ही विद्याचल में महिषमेध आए दिन करते ही हैं, यद्यपि वेदविहित आंदोलन के बिना।"

यह लेख उन्होंने उस समय लिखा था जब एक और देश में अकाल पड़ रहा था और दूसरी ओर द्विली, काशी, प्रयाग

देश के कुछ ऐसे बड़े विद्वानों ने किया है, जो विद्वां और योग्यता के कारण भारत, विशेषतः हिंदू जाति के गौरव मात्र हैं। इतिहास और वैदिक दर्शन तथा साहित्य संबंधी अपनी स्वतंत्रता एवं मौलिक शोधों से उन्होंने विदेशियों द्वारा भारतीय इतिहास के संबंध में फैलाई गई अनेक गलत बातों का ऐसा खंडन किया है कि स्वयं विदेशियों को उन की बात स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा।

लोकमान्य तिलक के विचार

इस संबंध में सब से पहले लोकमान्य तिलक के एक भाषण के कुछ शब्दों को उद्धृत करूँगा, जिन से विदित होता है कि लोकमान्य कितनी स्पष्टता के साथ वैदिक यज्ञों में पशु हिंसा होने की बात स्वीकार करते थे। लोकमान्य ने कहा था : "अंहसा परमो धर्मः - इस उदार सिद्धांत ने द्वाह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्व काल में यज्ञ के प्रमाण 'सेघदूतं' आदि अनेक ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु इस धोर हिंसा का द्वाह्मण धर्म से विदाई ले जाने का श्रेय जैन धर्म के हिस्से में है।" (मंडई समाचार के 10 दिसंबर 1904 के अंक से उद्धृत, यह संपूर्ण भाषण पुस्तिका रूप में भी प्राप्त है।)

वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर भगवानदास ने अपने लेख 'शास्त्रवाद बनाम बृद्धिवाद' में लिखा है :

"यदि शास्त्र शब्द ही पकड़ा जाएगा, तो फिर अन्न और धी की ही यज्ञ से संतोष क्यों? अजमेध, महिषमेध, गौमेध, अश्वमेध नरमेध भी यज्ञ नहीं? सभी तो शास्त्रविहित, वेदविहित हैं। और आज भी सनातन धर्म के, वेदशास्त्र के श्रद्धालु हिंदू लोग काशी जैसे तीर्थ स्थान में, दुर्गा मंदिर में अजमेध और पास ही विद्याचल में महिषमेध आए दिन करते ही हैं, यद्यपि वेदविहित आंदोलन के बिना।"

यह लेख उन्होंने उस समय लिखा था जब एक और देश में अकाल पड़ रहा था और दूसरी ओर द्विली, काशी, प्रयाग

आदि स्थानों में शास्त्रों की आज्ञा के नाम पर अनेक यज्ञ रचाए जा रहे थे और उन में हजारों मन अनाज और धी फंका जा रहा था। डाक्टर भगवानदास ने उसी ओर संकेत करते हुए कहा कि यदि शास्त्रों के आधार पर ही चलना है तो अन्न और धी से ही क्या, धोड़ा, गाय, बकरा, भैंस और मनुष्य की आहात दिए जाने का विधान जिन यज्ञों में है, वह जै भी क्यों नहीं करते?

श्री जयचंद्र विद्यालंकार की प्रसिद्ध पुस्तक 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' (प्रथम भाग) से कुछ शब्द देखिए। इस पुस्तक के पृष्ठ 251 ('हिंसा संस्करण') पर वेदकालीन आर्यों की आहारविहार की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है :

"आर्य लोग पूरे मांसाहारी थे, गाय को उस समय भी अध्यना अर्थात् न मारने लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समय या अंतिथि के आने पर वैल अथवा बेहत् (ब्रांज गाय) को मारने की प्रथा थी।"

श्री जयचंद्र की संपूर्ण शिक्षाविदीका गुरुकुल कांगड़ी में है। आर्यों और वैदिक साहित्य के प्रति गौरवमय भावना तथा अनंत श्रद्धा उन की पुत्रकों की विशेषता है। आजकल वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान हैं और विश्व वर्षों से सम्मेलन द्वारा आयोजित अनेक इतिहास परिषदों का सम्भापितल कर रहे हैं। उन की यह पुस्तक, जिस से उपरोक्त अंश उद्धृत किया गया था, भारतीय इतिहास साहित्य में गर्व करने योग्य मानी जाती है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। अपने इस कथन के प्रमाणवरूप अर्थात् वेदकालीन आर्यों को गौमांस भक्षी सिद्ध करने के लिए जयचंद्रजी ने वहीं फॉनोट में कुछ वेदमंत्रों और द्वाह्मण ग्रंथों के स्थलों की ओर संकेत किया है।

हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान लेखक श्री भगवत्शरण उपाध्याय ने अपने प्रथम "भारत का प्राचीन इतिहास" के पृष्ठ 32 पर लिखा है,

"ऋग्वेदकालीन आर्यों के आहार अन्न

और मांस दोनों ही थे... भेड़, बकरी का मांस अधिकता से खाया जाता था. मांस आर्य लोग अपने देवताओं की पूजा में भी व्यवहृत करते थे. यज्ञों में देवपूजन से अवशिष्ट मांस नृत्वज्ञ और यजमान दोनों का ही भक्षण था.

अतिथिग्रव

"उत्सव में और अतिथियों के स्वागत के अवसर पर भोजन के निमित्त गाय का बछड़ा मारा जाता था. इसी कारण 'अतिथिग्रव' उस की संज्ञा हो गई थी. परंतु अपनी उपादेयता के कारण शरीर ही गाय की संज्ञा अद्यन्य हो गई. ऋषियों ने उस की स्तृति में गीत गाए और उस का वध निषिद्ध हो गया."

आर्याचार्य काका कालेलकर ने भी अपने एक लेख 'गौरक्षा' में लिखा है :

"बहुत प्राचीन काल में हिंदुस्तान में एक समय था जब गौवध निषिद्ध नहीं था. सद्ग पश्चात्‌ओं की हिसा होती थी।" (यह लेख नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, से प्रकाशित पुस्तक 'गौसेवा' में संग्रहीत है. पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं.)

बैद्येदांगों के प्रसिद्ध ज्ञाता श्री लक्ष्मण 'शास्त्री जोशी ने, जो आजकल संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्यालय, प्राज्ञ पाठशाला, स्थानवाई (सतारा), के मुख्य आर्याचार्य हैं और संपूर्ण हिंदू धर्म 'शास्त्रों' को 'धर्म कोश' के रूप में संपादन करने का जो विराट प्रयास महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है, उस के मुख्य संपादक हैं, गौमेध और प्राचीन आर्यों द्वारा गोमांस भक्षण के विषय में लिखा है :

"उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि समाज के निर्वाह के लिए उपर्योगी गौ आदि पश्चात्‌ओं की हत्या धर्म के नाम पर भक्षण के लिए की जाती थी. यह यजार्थ होती थी।" (हिंदू धर्म की समीक्षा, हिंदी संस्करण, पृष्ठ 136).

इसी पुस्तक के पृष्ठ 124 पर 'वैदिक आर्यों का श्रोतस्मार्त धर्म' शीर्षक से शास्त्रीजी ने लिखा है :

"उन में गौमेध, अश्वमेध, अजमेध आदि पश्चात्‌ओं का धर्म था।"

श्री कहैयालाल मुशी (तत्कालीन गवर्नर, उत्तरप्रदेश) ने 'भगवून परशुराम' और 'लोमर्हिणी' की भूमिका में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्राचीन काल में नरमेध यज्ञ होता था, जिस में मनुष्य की बलि दी जाती थी. वह एतरेय ब्राह्मण में वर्णित 'शनः शेष के प्रकारण को रूपक नहीं मानते, बल्कि क्षेत्रेद काल में घटित एक वास्तविक घटना मानते हैं। उन्होंने बड़ी ही गंभीरता के साथ विचित्र किया है कि अनेक ऋति शनः 'शेष नामक ऋषिपुत्र की बलि दे कर उस के मांस की आहूति देना चाहते थे, किंतु विश्वामित्र ने इस में बाधा डाल दी।

इस के अलावा मैं पाठकों से प्रार्थना करूँगा कि राहुलजी की 'मानव समाज' व 'बोल्गा से गंगा', डाक्टर अंबेडकर की 'शूद्रों की खोज' व 'अछूत कर्यों और कैसे', रजनीकांत 'शास्त्री' की 'हिंदू जाति का उत्थान और पतन' तथा 'मानस मीमांसा' धर्मनिंद 'कौसांशी' की 'भारतीय संस्कृति और अंहिसा' तथा डांगे की 'भारत' पुस्तकें पढ़ने की कृपा करें।

इन पुस्तकों के अध्ययन से पाठक इतना तो समझ ही ले जाए कि गौपूजा लेख के प्रकाशन के विरुद्ध जो प्रचार किया जा रहा है, उस के भीतर अवश्य ही कोई दूसरी प्रेरणा है, अन्यथा उपरोक्त ग्रंथों में ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है, जिस से हमें अपने प्राचीन ऋषिमन्यों के संबंध में एकदूसरे ही दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन पुस्तकों में से अधिकांश के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, इसलिए ये पुस्तकें लेख के विरोध में आदोलन करने वाले विद्वानों और संपादकों की दृष्टि में न आई हों, इस पर कौन विश्वास करेगा?

सुना है सरिता के विरुद्ध अदालती कार्रवाई होने जा रही है और इस के कुछ मित्रों ने बड़े जोशखोरोश के साथ चंदा भी

इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. यह बात इस प्रश्न का उत्तर भी है कि उन पुस्तकों के विरुद्ध कोई आदोलन क्यों नहीं खड़ा किया गया और सरिता पर ही क्यों लोग कमर कसे हुए हैं. साफ बात यह है कि जिस प्रकार 'अमृतपत्रिका' के संबंध में धर्माधि मसलमानों ने जो उच्छृंखलता दिखाई है और एक छोटी सी घटना पर मुसलिम जनता को भड़का कर अनेक मुसलमान नेताओं ने अपनी जेबे भरी हैं, उसी तरह इस लेख के विरोधी महानभाव भी अपनी जेबे भर लेने का अवसर खो ज रहे हैं. कुछ लोगों ने साफसाफ इसी उदाहरण को उपस्थित कर के हिंदू जनता को भड़काने की चेष्टा की है।

अब मैं मूल ग्रंथों में से भी थोड़े उद्धरण देना चाहूँगा। इन उद्धरणोंसे पाठक यह भी समझ सकेंगे कि प्राचीन आर्यों में गौमेध और गोमांस भक्षण प्रथा प्रचलित होने के तथ्य को स्वीकार करने पर उपरोक्त विद्वान कर्यों विवश हुए। इस विषय में वेदों में अनेक मंत्र आते हैं, किंतु मंत्रों के अर्थ भिन्नभिन्न किए जाते हैं। *

तर्कीन युक्ति

वेदों पर सायणाचार्य के भाष्य को प्रायः सनातनी जगत मानता है। सायणाचार्य ने मंत्रों के जो अर्थ दिए हैं वे बिना 'शक्य यह प्रमाणित करते हैं कि गौमेध में गाय नामक पशु की बलि दी जाती थी। आर्यों का देवता इंद्र बैलों को पकापका कर खाता था। सनातन धर्म बंधुओं का कहना है कि सायणाचार्य का भाष्य तो ठीक है, किंतु उस समय हमारे यजकर्ता ऐसी अलौकिक शक्ति रखते थे कि वे यज्ञ में होम किए गए पशुओं को पुनः जीवित कर देते थे।

महर्षि दयानंद को यह तर्क ठीक नहीं जान पड़ा, दूसरी ओर उन की श्रद्धा यह भी सहन नहीं कर सकती थी कि प्राचीन आर्य गाएं, घोड़ा, मनुष्य की बलि देते थे। इसलिए उन्होंने और उन के बाद कुछ आर्यसमाजी विद्वानों ने वेदमंत्रों के अर्थ

दूसरी ही पहुँच से करने आरंभ किए। किंतु अन्य धार्मिक ग्रंथ यहां तक कि ब्राह्मण ग्रंथ भी जिन में वैदिक धर्मकांडों का विस्तार है और इसी लिए जिन को वेदांग ही माना जाता है, महर्षि दयानंद की शैली से किए गए वेदार्थों के विरोध में पड़ते हैं।

'वाल्मीकीय रामायण', 'महाभारत' इत्यादि ग्रंथ और 'मेघदूत' तथा 'उत्तर रामचरित' जैसे काव्य और नाटक भी ऐसे तथ्यों को प्रकट करते हैं जो सायणाचार्य के भाष्य से तो मेल खाते हैं, किंतु महर्षि दयानंद की शैली से किए गए भाष्य से नहीं।

तब आर्य समाजी बंधुओं ने यह कहना 'शुरू किया कि यह सब स्थल प्रक्षिप्त यानी बाद में मिला दिए गए हैं, अतः उन को हम प्रामाणिक नहीं मानते। किंतु निष्पक्ष विद्वानों को यह तर्क प्रभावित नहीं कर सकता। यहां तक कि आर्य समाज के कठोर नियंत्रण में संचालित होने वाले गुरुकुलों के विद्यार्थियों के मन में भी यह तर्क हीन युक्ति नहीं बैठ सकी।

गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक और प्रसिद्ध पत्रकार श्री सत्यदेव विद्वालंकार ने इसी प्रकार की एक घटना का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक 'राष्ट्रधर्म' (प्रथम संस्करण, पृष्ठ 13-14) में लिखा है : *

"गुरुकुल कांगड़ी के महाविद्यालय विभाग की तीसरी कक्षा की बात है। वैदिक साहित्य की पढ़ाई चल रही थी। गुरुजी 'शतपथ ब्राह्मण' में से गौमेध यज्ञ का प्रकरण पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने विचार के अन्सार गौमेध यज्ञ की व्याख्या करते हुए बताया कि किस प्रकार गाय को स्तूप के साथ बांध कर यज्ञ में उस की बलि दी जाए। गौमेध की यह व्याख्या समाप्त होते ही न होते एक विद्यार्थी ने गुरुजी से कुछ शंका प्रकट करने की इच्छा प्रकट की। गुरुजी ने उस को प्रसन्नतापूर्वक शंका प्रकट करने के लिए कहा। विद्यार्थी ने विनीत भाव से पूछा कि यदि गौमेध यज्ञ की इस व्याख्या को ठीक मान लिया जाए, तो इद की कुरबानी और इस गौमेध यज्ञ में क्या अंतर

है? गुरुजी ने लगभग एक घंटे तक संस्कृत में व्याख्यान दिया और शंका का समाधान करने का प्रयत्न किया, पर शंका नहीं मिटी। विद्यार्थी ने जब फिर शंका प्रकट की, तो गुरुजी इतने आवेश में आ गए कि उन्होंने विद्यार्थी को नास्तिक इत्यादि कह कर उस शंका को दबा देना चाहा।"

वेदों में गौमांस भक्षण

उपरोक्त घटना उद्भूत करने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि पाठक समझ सके कि श्री सत्यदेव विद्यालंकार जैसे गुरुकुल में पठित- पाठित विद्वान् भी वर्णों यह मानने लगे कि वेदों में गौमांस भक्षण है और गौमेध में गाय नामक पशु की बलि दी जाती थी। वास्तव में आर्य समाज के अधिकांश विद्वान् भी कदाचित इस संबंध में भीतर ही भीतर ऐसा ही विश्वास रखते थे और गुरुकुलों में भी इसी के अनुसार पठनपाठन होता था।

गौमेध यज्ञ में गाय नामक पशु नहीं, बल्कि इस नाम की कोई औषधि डाली जाती होती और प्राचीन आर्य गौमांस नहीं खाते थे, इस पर यह विद्वान् कैसे विश्वास कर लेते जब कि 'गोपथ बाह्मण' में यह भी बता दिया गया है कि बलि पशु के किस भाग को कौन पाने का अधिकारी है। इस बंटवारे के अनुसार जीभ, गला, कंधा, नितंब, टांग, पुरोहित पाने थे, यज्ञान पीठ का भाग लेता था और उस की स्त्री को पेंडू के भाग से संतोष करना पड़ता था। मूल संस्कृत में इस प्रकार है :

"अथातः सवनीयस्य पशोर्विभागं-व्याख्यास्यमः उद्भृत्यवदानि हनु सजिद्वे प्रस्तोतुः कठः सकुदुः प्रतिहर्तुः, श्येनपक्ष उद्गातु दक्षिणं पाश्वं सांसमध्यर्थो....." इत्यादि। (गोपथ बाह्मण 3.18)

'एतरेय बाह्मण' में भी इसी प्रकार का विभाजन बताया गया है।

'शतपथ बाह्मण (3.1.2.21)' में एक विवाद दिया गया है कि पुरोहित को वैल का मांस खाना चाहिए या गाय का? अंत में

परिणाम निकाला गया कि दोनों का ही मांस नहीं खाना चाहिए, परंतु याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि वह मांस नरम हो तो खा सकते हैं।

'बृहदण्यक उपनिषद्' (6.4.18) में कहा गया है कि यदि कोई चाहता है कि उस का पुत्र विद्वान्, विजयी और सर्व वेदों का जाता हो, तो वह बैल का मांस चावल के साथ पका कर घी डाल कर खाए।

उपरोक्त तीनों उद्धरण में ने प्रसिद्ध लेखक आर्य चतुर न शास्त्री की पुस्तक 'धर्म के नाम पर' में से लिए हैं। प्राचीन आर्यों को गौमांस भक्षी सिद्ध करने के लिए आर्यार्जी ने और भी अकाद्य प्रमाण दिए हैं।

'वसिष्ठ स्मृति', अध्याय 4, में कहा गया है :

"अथापि ब्राह्मणाय व राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोक्षं वा महाजं वा पचेत् एवमस्यातिथ्यं कुर्वन्तीति."

अर्थः और अपने यहां यदि ब्राह्मण अथवा राजा अतिथि आए तो उस के लिए एक बड़ा बैल या बड़ा बकरा पकाना चाहिए। उस अतिथि का स्तक्तार इसी प्रकार करते हैं।

'शब्दकल्पद्रुम' में गौमेध की यह व्याख्या दी गई है :

"यज्ञविशेषः अत्र स्त्रीरोपशः: मंत्रेषु स्त्रीर्लिंग पाठत्. तस्य लक्षण्यस्त-सप्तशक्त्व-नवशक्त्व- भग्नशृंगत्व - काणत्व-छिन्न-कण्ठ्यादि दोषराहित्यम्. तस्य प्रयोगः : सर्वोऽपिछागपश्वत्. यज्ञानस्य स्वर्गः फलम्, गोश्च गोलोकप्राप्तिः तस्य च कलौनिषेधो यथा— 'अश्वालभ्यं ग्वालभ्यं सन्यासं फलपैतृकम्. देवराच्य सुतोपत्तिः कलौपंच विवर्जयेत्' इति आपस्तम्भ कल्पसूत्र पुराणे।"

अर्थः यह एक यज्ञ विशेष है, यहां पर 'गौ' शब्द से स्त्री गो पशु अर्थात् गाय, न कि बैल, सांड या बाढ़ा, अभिप्रेत है, क्योंकि मंत्रों में स्त्रीर्लिंग का पाठ है। उस गाय का यह लक्षण होना चाहिए कि वह सात

खुरवाली, नौ खुर वाली, टूटे सींग वाली, कानी या कनकटी न हो। उस में ये दोष न होने चाहिए। उस का संपूर्ण छाग (बकरा) की ही भाँति होना चाहिए। गौमेध यज्ञ का कलिकाल में निषेध है, जैसे अश्वमेध, गौमेध, संन्यास, मांस द्वारा पितरों के शाद्व तथा देवर से पत्रोत्पादन -ये पांच काम कलियुग में वर्जित हैं। यह आपस्तम्भ कल्पसूत्र पुराण का वचन है।

बृहत्रार्दीय संहिता में भी कहा गया है :

"समुद्रयात्रा-स्वीकारः, कमंडल-विधारण्यम् द्विजानामसवर्णासु कन्यासूप्यमः, तथा देवरेण सुतोपत्तिः, मधुपर्के पशोर्वद्यः मांसोदनं तथा श्राद्धे, वानप्रस्थाश्रमः, तथा दत्तायास्त्वैव कन्यायाः पुरुदनं परस्यच, दीर्घकाल ब्रह्मचर्यम्, नरमेधाश्वमेधकौ, महाप्रस्थानगमनम्, गौमेधं च माणं तथा, इमान धर्मान् कलियुगेव ज्यना हुः मतीषिणः।"

अर्थः समुद्र यात्रा, संन्यास ग्रहण, द्विजातियों का असर्वांग कन्याओं से विवाह, देवर से सुतोपत्तादन, मधुपर्क में पशु का वध, श्राद्ध में मांस का पिंड दान, वानप्रस्थाश्रम, जो कन्या एक बार दान कर दी गई पुनः उस का किसी अन्य वर को दान, दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, नरमेध तथा अश्वमेध, महाप्रस्थान गमन (असाध्य रोग होने पर शास्त्रोत्तर विधि से आत्महत्या) और गौमेध-इन धर्मों को कलियुग में वर्जित किया गया है।

स्पष्ट है कि उपरोक्त 'शास्त्रों' की रचना होने के समय तक गौमेध तथा उपरोक्त कार्यों को निन्दायी माना जाने लगा था। यहीं में ने अपने लेख में भी लिखा था कि गाय की उपयोगिता जैसे ही आर्थिक दृष्टि से बढ़ती गई, गौमेध का विरोध होने लगा। इस के पश्चात तो यज्ञों में पशुहिंसा का ही विरोध हुआ। इसी लिए उपर्युक्त 'शास्त्रकार' कलियुग में गौमेध की आज्ञा नहीं देते। किंतु उपरोक्त निषेध से इतना तो प्रमाणित होता ही है कि प्राचीन काल में

गौमेध प्रचलित था और उस में गौ पशु की बलि दी जाती थी, अन्यथा उस का निषेध ही क्यों किया जाता?

'महाभारत', अध्याय 208, वन पर्व, श्लोक 8 तथा 9 इस प्रकार हैं।

"राजो महानसे पर्वं रतिदेवस्य वै द्विज, अहन्यानवद्येते द्वसहस्रेणवां तथा, समांसं ददतोट्वं रतिदेवस्य नित्यशः, अतुलाकीर्तिरभवन्नपस्य द्विजसत्तमः।"

अर्थः राजा रतिदेव की पाकशाला में प्रतिदिन 2000 गाएं कटती थीं। मांस के साथ अन्न का दान करते करते रतिदेव की कीर्ति अद्वितीय हो गई।

इसी बात को फिर दोबारा द्वारा पर्व, अध्याय 67, श्लोक 16, में इस प्रकार कहा गया है :

"संकृते रतिदेवस्य यां रात्रिमातिश्यवंसेत्, आलम्यं तदा गावः सहस्राण्येकविशति।"

अर्थः संकृते रतिदेव के पत्र राजा रतिदेव के घर पर जिस रात में अतिथियों ने निवास किया, उस रात इक्कीस हजार गाएं मारी गईं।

'महाभारत' के इसी पर्व और अध्याय के पांचवें श्लोक में बताया गया है कि राजा रतिदेव ने गौमेध यज्ञ में इतनी गायों का वध किया कि उन के रक्त, मांस, मज्जा से एक चर्मण्वती नामक नदी ही बह निकली : "नदी महानसाद्यस्य प्रवृत्ता चर्मराशितः, तस्माच्चर्मण्वती पर्वमार्गिनोत्रै भवत्पुरा।"

महाकवि कालिदास ने अपने 'मेघदूत' काव्य, पर्वार्द्ध, श्लोक 45, में भी इसी प्रकार चर्मण्वती नदी का वर्णन किया है और फिर मल्लीनाथ कृत 'मेघदूत' की टीका में भी राजा रतिदेव द्वारा किए गए गौमेध से चर्मण्वती नदी के बह निकलने का वर्णन है। यज्ञों में पशुहिंसा प्रामाणिक

लेख में लोकमान्य तिलक के भाषण से उद्भूत अंश (पृष्ठ 18) में यज्ञों में पशु हिंसा सिद्ध करने वाले प्रमाणों को स्वीकार करते समय 'मेघदूत' का इसीलिए उल्लेख किया है कि वह भी इसे प्रमाणिक मानते थे।

भिन्नभिन्न काव्य ग्रंथों में जब एक घटना का एक प्रकार से ही वर्णन मिलता है तब कोई विद्वान कैसे कह दे कि यह तो बाद में लगा दिए गए हैं?

'उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते'
अर्थात् 'उत्तरे रामचरिते लिखने में भवभूति ने विशेष योग्यता दिखाई है'—इस प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार महाकवि भवभूति की सर्वोत्कृष्ट कृति 'उत्तरे रामचरिते' के चतुर्थ अंक में महाकवि वसिष्ठ को वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रदत्त गौवत्सरी (गाय की बछिया) के मांस से युक्त मधुपक्ष को ग्रहण करते हुए दिखाया गया है। इस गंथ का उल्लेख मैं ने अपने लेख 'गौपूजा' में भी किया है, जिस पर दिल्ली के एक उर्द्ध दैनिक ने मझे निहायत लवीज गालियां देते हुए पूछा है कि जब मैं यह कह चुका हूँ कि बौद्धकाल में गौमेध बंद हो गया था, तब भवभूति, जो बृह के कई सौ वर्ष बाद हुआ, अपने नाटक में यह कैसे लिख जाता कि वसिष्ठ ने गौवत्सरी का मांस ग्रहण किया था?

यह सबल ठीक ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि जब विटिश सरकार सन् 1845 के एकट 21 द्वारा नरमेध यज्ञ को दंडनीय घोषित कर चुकी थी, तब 1948 में प्रकाशित अपने उपन्यास 'लोमहर्षिणी' में कहन्ते वालाल मूँशी ने यह कैसे लिख दिया कि उत्तरवेद कालीन आर्य नरमेध करते थे!

वसिष्ठ ने एक स्थान पर कहा है :

"श्वाविच्छल्लकं शाशकच्छपं गोधाः
पंचनखा नाभक्ष्या अनुष्ट्राः पश्नामन्यतो
दन्तश्च मत्स्यानां वा बहगवय शशमार
नकुलीरा अविकृतरूपाः सर्पशीषांश्च
गौर गवय शलभाश्चानुविष्टास्तथा.
धेन्वन्ड्वाहौमेध्योवाजसनेयने खड्गेत्यविव-
दीति ग्राम्यशूकरे च" इत्यादि.

अर्थः साही, सेई, खरगोश, कच्छुआ और गोह, ये पांच नख वाले जीव अभक्ष्य नहीं हैं। ऊंट के अतिरिक्त अन्य पशु भी जो एक तरफ दांत वाले हैं, अभक्ष्य नहीं हैं। मत्स्यों में दरियाई नीलगाय, संगमाही, नक्र

केकड़ा तथा वे जिन का सिर सांप के समान नहीं हैं, अभक्ष्य नहीं हैं। वाजसनेय के मत में गाय और बैल भी पांचवत्र अर्थात् भक्ष्य हैं। गैंडे और ग्रामशूकर के संबंध में ऋत्तिशाण विवाद करते हैं अर्थात् कोई उन्हें अभक्ष्य और कोई उन्हें भक्ष्य बताता है।

इसी प्रकार के और भी सेंकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। 'अश्वालायन गृहासूत्र' अध्याय 4, खंड 10, में शूलगव नामक यज्ञ का वर्णन इस प्रकार किया गया है :

"शूलगवं शरत काल अथवा वसंत काल में करना चाहिए। वह आद्रा नक्षत्र में करना चाहिए। अपनी गौशाला का सब से अच्छा बैल छाँट लेना चाहिए। वह पृष्ठद्वर्वा होना चाहिए। कोई चित्र वर्ण वाला भी कहते हैं। ऊंचे स्कंद वाला काला बैल हो तो उत्तम ही है। उस का चावल या जौ का पानी से अभिषेक करना चाहिए। वह इस प्रकार : 'रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्त्व।' अनन्तर उसे मार कर आहुतियां दें। वह इस प्रकार : 'हराय कृपाय शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय पशुपतये रुद्राय शंकरायेशानायाः शनये स्वाहा।' उस की पंछ और चमड़ा, सिर और पैर अपन में डालें। किंतु 'शांबव्य आचार्य कहते हैं कि चमड़े का उपभोग करें।'

वैवाहिक पद्धति में भी ऐसे अनेक स्थल हैं, जिन से गौवध प्रमाणित होता है ग्रंथ के ग्रंथ ऐसे उद्धरणों से तैयार किए जा सकते हैं, किंतु मैं इस प्रकार के बहुत से उद्धरण देकर पाठकों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता।

असंगत तर्क

एक उर्द्ध दैनिक के संपादक महोदय ने मांग की है कि ऐसी तमाम किताबों जब्त कर ली जाएं जो सावित करती हैं कि प्राचीन आर्य गौमांस भक्षी थे। लेकिन वह यह सोचें कि इस तरह की तमाम किताबों की जब्ती के अर्थ क्या होते हैं? साधारणाचार्य तथा उस पढ़ति पर किए गए अनेक वेद

भाष्य, अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक संहिताएं, अनेक उपनिषद्, महाभारत, मेघदूत, उत्तर रामचरित नाटक, अनेक आचार सूत्र और फिर लोकमान्य तिलक, डाक्टर भगवानदास, श्री जयचंद्र विद्यालंकार, श्री कन्हैयालाल मंशी की रचनाओं को जब्त करना ही तो पाठकगण इस मांग के आधार पर ही 'गौपूजा' लेख के विरोधियों की मानसिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं।

लेख का वह अंश भी आपत्तिजनक माना गया है जिस में यह सुझाव है कि गौवंश की अभिवृद्धि के लिए दुर्वल, अंगंग, निठली व बेकार गायों को नष्ट कर दिया जाए।

इस सुझाव के विरोध में प्रायः सभी ने यह तर्क उपस्थित किया है कि फिर बेकार, अंगंग, दुर्वल और गौरी मनव्यों को भी क्यों न समाप्त कर दिया जाए? यह दूसरा प्रकार : 'रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्त्व।' अनन्तर उसे मार कर आहुतियां दें। वह इस प्रकार : 'हराय कृपाय शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय पशुपतये रुद्राय शंकरायेशानायाः शनये स्वाहा।' उस की पंछ और चमड़ा, सिर और पैर अपन में डालें। किंतु 'शांबव्य आचार्य कहते हैं कि चमड़े का उपभोग करें।'

किंवदं अपने इन किसिंगों से पछाना चाहता हूँ कि व्यक्तित्व को आज तक देखा है जो अपने मातापिता के गते में रस्सी डाल कर उन्हें खोंदे से बांध कर रखता हो ताकि वे किसी दूसरे के घर में न घस जाएं, उन्हें बाजार में खरीदतावेचता हो, उन का दूध निकाल कर स्वयं पी जाता हो या बाजार में बेच कर मुनाफा कमाता हो, और उन के नर बच्चों को हल व ठेलों में बेरहमी से जोतता हो या गरम लोहे से दाग कर बाजारों में खुला छोड़ देता हो ताकि उन्हें जो मादा मिले, उस पर बलात्कार करने लगे? स्पष्ट है कि उन्होंने एक भी आदमी नहीं देखा होगा, लेकिन गाय के साथ यही बरताव वे खुद भी करते होंगे, क्यों? इसलिए कि गाय और आदमी में अंतर है।

गाय के बछड़े को हम इस तरह से बांधते हैं कि वह गाय तक न पहुँच सके और वह गाय का दूध न पी जाए जो उस का जन्मसिद्ध अधिकार है। गाय कीभी भी इस पर नाराज हो कर दूध चढ़ा जाती है तो हम

तरहतरह से उसे डरातेधमकाते हैं। क्या ऐसा ही बरताव हम किसी इनसान के साथ करते हैं? यदि नहीं, तो जानवर और इनसान की बराबरी का तर्क उपस्थित करने में क्या तत्त्व हैं?

फिर यह सबाल गाय के लिए ही क्यों उठता है, दूसरे प्राणियों के लिए क्यों नहीं? आज सरकार अन्न की कमी को पूरा करने के लिए मछलियों की पैदावार बढ़ा रही है। अन्न की कमी की बजह से इनसान दूसरे इनसान को तो नहीं खा सकता, फिर मछलियों को कैसे खा सकता है? इस तर्क के सहाये इन आलोचकों को चाहिए कि वे मछली पालन के विरुद्ध भी सत्याग्रह करें।

पूजा के लिए और खाने के लिए आज असंख्य बकरे, बकरी, भैंस, भैंसे, मुरगे इत्यादि काटे जाते हैं। अगर दूध देने की ही दलील हो, तो इन में से अनेक दूध भी देते हैं। लेकिन उन की हत्या के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं किया गया। फिर गाय के नाम पर ही मनुष्य और पशु को एक स्तर पर लाने की, उस के साथ एक सा व्यवहार करने की उदारता और महानता क्यों उमड़ने लगती है?

गौपूजा के नाम पर ठीकी

केवल इसलिए कि गौपूजा और गौरक्षा के नाम पर एक पूरा वर्ग अंधशद्वालुओं को ठग कर अपना पेट पालता है। अन्यथा अपनी इस गौमाता के साथ वे स्वयं कैसा व्यवहार करते हैं, इस का वीभत्स रूप तीर्थों में देखिए, जहाँ एक मृतप्राय बछिया के गंगाजल में खड़ा किए पूज्य पंडितजी पांच आने, दस आने, सवा रूपया ले कर गौदान का फल बेचते हैं। वह बछिया कुछ ही दिनों में बीमार रह कर मर जाती है।

मैं इस कथाकथित गौरक्षकों व गौभक्षतों से पछता हूँ कि आज तक इस के विरुद्ध कोई आंदोलन क्यों नहीं किया गया? फूंका प्रथा के विरुद्ध किसी ने प्रदर्शन की सत्याग्रह क्यों नहीं किया? गायों की

क्रूरतापूर्ण हत्या के जो रूप और तरीके में ने अपने पहले लेख में गिनाए हैं, उन को दूर करने का उपाय क्यों नहीं किया गया? जो लोग अपनी पालतू गायों का दूध निकाल कर उन को दिन भर इधरउधर मुँह मारने, जहांतहां पिटने तथा भक्षयभक्ष्य खाने के लिए छोड़ देते हैं, उस के बारे में कुछ क्यों नहीं किया गया?

दलील दी जाती है कि हिंदू जाति सदियों से गाय को पृथ्य मानती आई है, इसलिए ऐसे सुझाव नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि इस से हिंदू जाति के हृदय को आधात लगता है, उस की भवनाओं को ठेस पहचानती है।

मैं पूछता हूं कि जब स्त्री शिक्षा का प्रश्न पहलेहल उठाया गया था, तब हिंदू जाति के हृदय को बया कुछ कम आधात लगा था?

बंबई प्रांत में पहली कन्या पाठशाला खोलने वाले महात्मा जोतिवा फुले को उन के इस 'धर्म विरोधी कार्य' के अपराध में उन के पिता ने भी घर से निकाल दिया था। उन की पत्नी पार्वतीदाई जब लड़कियों को पढ़ाने पाठशाला में जाती थीं, तो आते जाते समय उन्हें धर्मप्रीती जनता के हाथों पत्थर छाने पड़ते थे।

सती प्रथा बंद किए जाने के विरोध में तो तूफान ही खड़ा कर दिया गया था, और आज भी ऐसे लोग हैं जो सती प्रथा को बंद करने वाले स्वर्णीय राजा रामभोन राय को इसी अपराध के कारण हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं।

'शारदा विल उपस्थित कर के जब बालविवाह होका गया था, तब क्या बेचारे हिंदू धर्म के अप्राप्त गलत व्यवहार आंदोलन के विरोध में जो बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए थे, और उन पर लाठियों की वर्षा की गई थी, तथा उन पर प्राणघातक बम फेंका गया था, यह सब भी तो एक भीषण संकट से हिंदू जाति को बचाने के लिए ही किया गया था।

अंतरजातीय विवाह, मंदिर प्रवेश,

एक पत्नी के रहते दूसरे विवाह का निषेध, विधवाविवाह आदि तो आज भी हिंदू के लिए विनाशकारी माने जाते हैं। तब क्या हमारा अपना भी यही दृष्टिकोण हो जाना चाहिए?

कहा जाएगा कि छुआछूत, बालविवाह आदि के विरोध में किर भी एक लोकमत तैयार हो चुका है, किंतु गायों के संबंध में ऐसा सुझाव सुनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है।

मेरा उत्तर है कि क्या छुआछूत, बालविवाह इत्यादि के विरोधियों की संख्या प्रारंभ में उंगलियों पर गिने जाने लायक नहीं थीं और क्या उन को म्लेच्छ, धर्मभृष्ट, हिंदू जाति का शत्रु इत्यादि की उपाधियां नहीं दी गई थीं?

इस के अतिरिक्त यह भी एक भ्रम है कि गायों के संबंध में ऐसा सुझाव सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं ने जो बूँदों, अपंग, दर्वाल गायों को नष्ट करने का सुझाव दिया है, वह मेरा मौलिक सुझाव नहीं है। यही सुझाव अब तक अनेक प्रसिद्ध हिंदू अर्थशास्त्री दे चुके हैं।

श्री राधाकलम मुख्यर्जी के लेखांश को तो, जिस में स्पष्टतः उन्होंने यही सुझाव दिया है, मैं ने अपने लेख 'गौपूजा' में उक्त ही किया है। पाठकों से मेरी यही प्रार्थना है कि वे मध्यर्जी की 'फूँड प्लानिंग' कार फोर हैंडेड मिलियंस' प्रस्तक पढ़ने की कृपा करें। बेकार गायों का नशा

पर उत्तेजित होने वाले महानुभावों को तो जात है ही कि वक्ष भी हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पृथ्य हैं और उन को नष्ट करना, उखाइना पाप है : किंतु हम अपने बाग के निर्बन्ध, बेकार वृक्षों को इसलिए नष्ट कर देते हैं कि उपर्योगी वृक्ष जीवित रह सकें। यदि माली निराई करना बंद कर दे यानी घास की अथवा रोगी, फलहीन वृक्ष की काटछांट न करें, तो क्या उस बाग के शोष वृक्ष जीवित रह सकेंगे? गाय के संबंध में

भी हमें इसी दृष्टिकोण को अपनाना होगा।

प्रश्न हो सकता है कि यदि वृद्ध, अपंग, दर्वाल गायों की रक्षा करते हुए भी गौवंश की अभिवृद्धि की जा सके, तो बेकार गायों को नष्ट करने पर ही क्यों जोर दिया जाए?

इस का उत्तर यही है कि क्या ऐसा होना संभव है? हमारे पास क्या इतना चारा और गला है कि हम अपने स्वस्थ पशुओं का भी पेट भर सकें? हम कोई रूपए का अन्न बाहर से मंगाते हैं, किर भी देश के अनेक भागों में अकाल पड़ा रहता है और भूमरी से मृत्यु होती रहती है। ऐसी स्थिति में क्या बेकार पशुओं को हम खिला सकते हैं? कहा जाएगा कि गाय हमारे लिए पृथ्य है, अतः हम भूमों पर लेंगे, किंतु अपने हिस्से का खाद्य पदार्थ गाय को खिला कर उस की प्राणरक्षा करेंगे।

किंतु हाल ही में जब हिस्सर में, जो हमारे देश में गौवंश की उत्तम नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, चारे की कमी के कारण हजारों गाएं भर गई तब वहां किंतु गौभक्त अपने हिस्से का खाद्य पदार्थ ले कर गायों को खिलाने पहंचे थे?

हमारा देश आज अन्नोत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। अन्न के स्थान पर यदि हम चारे का उत्पादन बढ़ाने लगे, तो हमारे देश की कितनी भयंकर स्थिति हो जाएगी, इस का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। आज तो प्रश्न यह है कि हमें बेकार पशु जीवित रखने हैं या मनुष्य?

बेकार गायों की रक्षा करते हुए भी गौवंश की अभिवृद्धि करने के गांधीजी के प्रयास में सब से बड़ी बाधा यह आज की अंधी गौभक्ति ही थी। गांधीजी कहते थे कि जो गाय निठली है, दूध नहीं देती, उस से काम लेना चाहिए, उस पर बोझा ढोना चाहिए। मृत गाय के मांस, मज्जा, हड्डी, चमड़े इत्यादि का पूरपरा उपयोग होना चाहिए। तभी गाय बचेगी।

गौभक्तों की ओर से इस का विरोध होता था। हमारी मां बड़ी हो जाए, बांध हो जाए तो क्या उसे हल में जोतेंगे? हमारे

मांबाप मर जाएं, तो क्या उन के शव को चीरफाड़ कर हम उन की कुपाति करेंगे? ये इन गौभक्तों के तरफ थे। अभी कुछ दिन पूर्व स्वर्गीय किशोरलालजी मश्वाला ने बेकार गायों से काम लेने का सुझाव दिया था, तो इस पर भी गौभक्तों ने काफी होहला मचाया था।

अतः गाय को मां या देवता समझने का अंधविश्वास जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक तो गौवंश की अभिवृद्धि असंभव ही है।

अपने लेख 'गौपूजा' में मैं ने पछा था कि संसार में एकमात्र गौपूजक हम हैं और संसार में सब से अधिक गाएं हमारे यहां हैं, फिर दूध धी की इतनी तंत्री क्यों है? मैंने खेद है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर मेरे आलोचकों में से किसी ने नहीं दिया। किसी ने यह भी नहीं बताया कि गौरक्षण किस प्रकार की जानी चाहिए और बेकार गायों की जीवित रखते हुए भी हम गौवंश को किस प्रकार पुष्ट बना सकते हैं? मेरे लेख के उत्तर में केवल गायतियां ही दी गई हैं और उन से निश्चय ही मेरा मन परिवर्तन नहीं हो सका।

विरोध मुसलमानों को करना चाहिए था

कहा गया है कि 'गौपूजा' लेख इसलिए निखा और प्रकाशित किया गया है, जिस से केंद्रीय सरकार का शिक्षा विभाग और मौलाना आजाद प्रसन्न हों, तथा ऐसे ही लेखों को प्रकाशित किए जाने के कारण 'सरिता' सरकार द्वारा पुस्तकालयों और शिक्षालयों के लिए स्वीकृत हैं।

लेख के विरोधियों का यह कथन भी साबित करता है कि उन की असली नीयत क्या है। यह बात तो साधारण समझदार व्यक्ति भी जानता है कि पुस्तकालयों तथा शिक्षालयों के लिए प्रांतीय सरकारें किसी पत्र को स्वीकृत करती हैं और केंद्रीय सरकार का इस से काई संबंध नहीं है। फिर भी यह सोचना चाहिए कि व्यायाम होना चाहिए। तभी गाय वैदिक यज्ञों में पशुहसा होने या प्राचीन आर्यों द्वारा गौमांस भक्षण को केवल इसी लिए

ऐतिहासिक सत्य मान लिया था क्योंकि उन को इलहाम हो गया था कि वर्षों बाद मौलाना आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बनेंगे और उन को प्रसन्न कर के वे कुछ अर्थलाभ कर सकेंगे?

गौवंश की अभिवृद्धि

इस के अलावा लेख के आलोचकों को यह भी सोचना चाहिए था कि लेख में गौवंश की अभिवृद्धि के लिए पहला सुझाव यह है कि 'स्वस्थ और दुधारु जानवरों का वध, चाहे वह गाय हो या भैंस अथवा कोई अन्य दुधोपयोग जीव, दंडनीय ठहरा दिया जाए।' मुसलमान जो साल में एक बार पश की कुरवानी करना अपना धर्म समझते हैं, वे इस लेख से क्यों प्रसन्न होंगे, यह समझ में नहीं आता.

'गौपूजा' लेख पर एक आंदोलन शुरू कर देने का प्रयास करने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर और अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है. मैं स्वीकार करत हूँ कि उन लोगों को जिन्होंने इस विषय में अधिक अध्ययन नहीं किया है, ऐसे लेख में यह तथ्य पढ़ कर तीक उसी प्रकार आधात लगा होगा, जिस प्रकार मझे पहले पहल लोकमान्य तिलक, डाकटर भगवानदास, श्री जयचंद्र विद्यालकार इत्यादि की कृतियों को पढ़ कर लगा था. ऐसे लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि इतिहास हमारी भावनाओं के प्रति न कोई निष्ठा रखता है और न कोई ममत्व.

लोकमान्य तिलक ने जब यह घोषित किया था कि अथवावेद के मंत्रों में कुछ प्राचीन खाली (अरबी) के 'शब्द मिलते हैं तो उन को भी कुछ कम आधात नहीं लगा होगा, क्योंकि हम पीढ़ियों से वेदों को पृथ्वी पर आया हआ प्रथम ईश्वरी ज्ञान मानते रहे हैं. किंतु लोकमान्य तिलक इतिहास के वैज्ञानिक शोधक थे अतः उन्होंने 'सर आर.जी. भंडारकर कमेसोरेशन वाल्यूम' में 'दी कल्डियन एंड इंडियन वेदाज्ञ' शीर्षक एक लेख लिख कर इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है.

प्राचीन काल में आर्य जन क्या करते थे, इस से हमें कुछ विशेष लेनादेना नहीं है, इसीलिए अपने पहले लेख में मैं ने इस संबंध में केवल थोड़ी सी ही परिक्तयां लिखी थीं. उन को लिखने की भी आवश्यकता केवल इसीलिए अनुभव होती है क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के नाम पर हमारी उन्नति के प्रत्येक प्रयास में बाधा उपस्थित की जाती है. शास्त्रों से ज्ञात होता है कि जन्म में गाय तथा अन्य प्राणियों की बलि जब कुछ महर्षियों को अखरने लगी, और जब उन्होंने उसे बंद कराने का प्रयास किया, तब उन का विरोध प्राचीन धर्मशास्त्रों की आजा के आधार पर ही किया गया था. कोई आश्चर्य नहीं, यदि आज बेकार गायों को जीवित रख कर पुष्ट, सुदृढ़ गायों को इंचाइच कर के भेखा मार डालने के लिए भी प्राचीन धर्मशास्त्रों का सहारा लिया जा रहा है.

यह गाय के साथसाथ राष्ट्र को भी मार डालने की तैयारी है. जिन सज्जनों के कोमल हृदय को बेकार गाय की हत्या कर देने की कल्पना मात्र से आधात लगता है, उन के हृदय को हमारे राष्ट्र की भयानक बालमृत्युओं की संख्या क्या किंचित भी ठेस नहीं पहुँचाती? या उन्हें यह नहीं मालूम कि जब तक गाय का शुद्ध दूध अधिक मात्रा में हमें नहीं मिलेगा, तब तक बालमृत्युओं की संख्या बढ़ती ही जाएगी?

गाय की हर तरह दर्दशा करने के साथ गौपूजा का जो दम भरते हैं, और इस के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वे एक बार इतिहास को भी तो देखें कि इस अंधी बेकार पूजा से भारत, विशेषतः हिंदुओं की, कितनी हानि हुई है. जब भी बाहर से कोई आक्रमणकारी भारत में घसा, केवल गाय को अपनी सेना के आगे कर देने से वह विजयी हो जाता था, और हिंदू न केवल उन गायों को ही बचा पाते थे बल्कि अपना सर्वस्व, अपनी स्त्रियां व बच्चे, व देश का गौरव भी गंवा बैठते थे.

1857 की आजादी की लड़ाई का भी इस सिलसिले में उल्लेख किया जा रहा है. इन आलोचकों का कहना है कि हिंदू सेना ने इसीलिए बगावत कर दी थी कि कारतूस में

चरबी लगती थी. आजादी के सिपाहियों पर यह कितना बड़ा लाठ्ठन है! उन्हें देश का ख्याल नहीं था, कारतूसों का ख्याल था! यदि यही बात थी तो उन्होंने मुसलमान मुगल बादशाह के झड़े के नीचे रह कर लड़ना क्यों स्वीकार किया था? मुसलमान तो साफ तौर से गौभक्षक थे.

इन धर्म के ठेकेदारों से कोई यह भी पूछे कि उन्होंने अंगरेजों को भारत से भगाने में कितनी मदद दी-जब कि अंगरेज सब से अधिक गौभक्षक थे. जो आज ऊपर से गाय की अंधी पूजा कर के उसे वास्तव में तिलितल कर के भेखा मारने के समर्थक हैं, उन्होंने हिंदुओं को गौभक्षकों से आजादी दिलवाने में कितना हाथ बंटाया था? उस समय तो उन्हें 'शायद 'बार एफर्ट' (युद्ध सहायता) कर के हर नाजायज तरीके से धन कमा कर अपने सफेद

प्रभुओं को प्रसन्न करने से ही फरसत नहीं थी.

'गौपूजा' और 'गौरक्षा' में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है. आज तक हम गौपूजा करते रहे हैं. पर इतनी लंबी अवधि तक भी गौपूजा कर के हम गौरक्षा नहीं कर पाए हैं. गौरक्षा गाय की पूजा किए बिना ही हो सकती है, और ही रही है. जैसे सारे संसार में हो रही है, और जब हांदू दृष्टि की नदियां बह रही हैं. जब तक गौपूजा की गौरक्षा से अलग नहीं किया जाएगा, गौपूजा के असली माने गौहत्या ही रहेंगे.

मैं अपने पाठकों एवं आलोचकों से विनाशकार्यक प्रार्थना करता हूँ कि गौरक्षा संबंधी मेरे सुझावों को वे एक बार फिर ध्यान से पढ़ें, और बेकार की भावनाओं को हटा कर इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करें.

● ●